क्रम-संख्या--234

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 मार्च, 1985

चैत्र 8, 1907 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 532/सत्रह-वि--1--1(क)-8-1985

लखनऊ, 29 मार्च, 1985

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 29 मार्च, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन.

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव ।

---

No. 532(2)/XVII-V-1—1(Ka)--8-1985

*Dated Lucknow, March 29, 1985*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 29, 1985 :

## THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act No. 8 of 1985]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965*

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1984.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. XI of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso thereto, *for* the word and figures "December 31, 1984" the word and figures "December 31, 1985" shall be *substituted*.

Amendment of section 35.

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso *for* the word and figures "December 31, 1984", the word and figures "December 31, 1985" shall be *substituted*.

Repeal and saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 27 of 1984.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
*Sachiv.*

पी० एस० यू० पी० —एस० पी० 316 सा० (विधा०)—(4269)—1985—750 (मेके०) ।